260

शीर्ष प्राथमिकता/ई-मेल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्री पवन, वेबसाइट पर डालें

संख्या पी- 538 /36-बी-8 (मूसाबाग)/2016-17, लखनऊ:दिनांक:नवम्बर: 21 ,2016

सेवा में,

PCCF (I.T) 23 NOV 2016

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में "मूसाबाग वन क्षेत्र, लखनऊ का विकास एवं संरक्षण योजना" के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति।

संदर्भ:- शासकीय पत्रांक- 2260/चौदह-4-2016-160/2015, दिनांक 17-11-2016 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्रांक- 2260/चौदह-4-2016-160/2015, दिनांक 17-11-2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान सं0-60 के आयोजनागत पक्ष में "मूसाबाग वन क्षेत्र, लखनऊ का विकास एवं संरक्षण योजना" के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण लि0 द्वारा प्रेषित डी0पी0आर0 के आधार पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 1353.71 लाख का प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित व्यवस्था के अनुसार रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) की शासकीय पत्रांक- 2260/चौदह-4-2016-160/2015, दिनांक 17-11-2016 से शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी है।

2- अत: शासन द्वारा उक्त प्रकार स्वीकृत रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) का आवंटन मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्रांक-1847/6-3-3, दिनांक 21-09-2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार आपके अधीनस्थ प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के उपयोग हेतु निम्न प्रकार किया जाता है:-

लेखाशीर्षक	धनराशि(रू0 में)
अनुदान संख्या-60-	
पूंजीलेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-	
01-वानिकी-	
800-अन्य व्यय-	
03-मूसाबाग वन क्षेत्र, लखनऊ का विकास एवं संरक्षण-	
24-वृहत निर्माण कार्य	9000000
29-अनुरक्षण	1000000
योग:-	10000000

(रू0 एक करोड़ मात्र)

3- उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग विषयगत योजनान्तर्गत शासकीय पत्रांक-1993/14-4-2016-160/2015, दिनांक 16-9-2016 से प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अनुमोदित योजना तथा मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के

D:\DATA\AA\SHASHANK\MUSABAGH\LUCKNOW 2016-17

पत्रांक-1847/6-3-3, दिनांक 21-09-2016 द्वारा प्रस्तावित कार्यमदों पर ही नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

4- विषयगत संदर्भित शासकीय पत्र में निहित निर्देशों/प्रतिबंधों का पूर्णतया: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वंय में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या- सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

7- प्रायोजना में मानकीकरण के अनुरूप आवासीय/नावासीय भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त पुराने भवन के रेनोवेशन का कार्य भी प्रस्तावित किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाय कि जब नया आवासीय/अनावासीय भवन बनाया जा रहा है तो पुराने भवन का रेनोवेशन की आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण किये जाने के पश्चात ही रेनोवेशन हेतु धनराशि अनुमन्य की जाय।

8- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ का होगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

9- प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

10- परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

11- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

12- प्रायोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित कार्य यथा एल0आई0टी0 वन क्षेत्र के चारों तरफ 8789र0मी0 बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, एन0आई0टी0 पार्क के फारेस्ट रेन्ज आफिस, मुख्य द्वार, वन विश्राम गृह, आवासीय भवनों, वन चेतना पार्क एवं वाटर चैनल व लोटस पॉण्ड का सुदृढीकरण व उच्चीकरण कार्य के अतिरिक्त साइकिल स्टैंड कैन्टीन, झूले, लाइटिंग तथा साइनेज का कार्य ही कराये जाये।

13- प्रायोजना प्रस्ताव में पुराने आवासीय/अनावासीय भवनों को तोडकर नया भवन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अत: ध्वस्तीकरण के पश्चात मलवे से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर दी जाये तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।

15- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहें है तथा इसकी रिपोर्ट शासन एवं इस कार्यालय को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

16- उक्त स्वीकृति धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाक घर खाता/डिपाजिट खाता आदि में जमा नहीं किया जायेगा।

17- स्वीकृति धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

18- उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों का स्थलवार विवरण, व्यय व खपत इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। व्यय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सूचना आयोजनागत पक्ष की अन्य सूचनाओं के साथ निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय की वित्तीय प्रगति प्रपत्र बी०एम०-13 में भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

19- अनुमोदन/संशोधन की प्रत्याशा में कोई भी अनाधिकृत कार्य कदापि न किया जाय।

20- इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय

(ए०के० द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-538 (1)/36-बी-8 (मूसाबाग)/2016-17, दिनांकित। 18/11/2016

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्रांक- 2260/चौदह-4-2016-160/2015, दिनांक 17-11-2016 की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि साख-सीमा से संबंधित मदों में आवंटित धनराशि की साख-सीमा प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पक्ष में जारी करने तथा कोषागार मदों में आवंटित धनराशि के बजट आवंटन की सूचना संबंधित कोषागार को देने की कृपा करें।

संलग्नकःयथोपरि।

(ए०के० द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-538 (11)/36-बी-8 (मूसाबाग)/2016-17, दिनांकित। 18/11/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्रांक- 2260/चौदह-4-2016-160/2015, दिनांक 17-11-2016 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (द्वितीय), लेखा एवं हकदारी, चतुर्थ तल हाल नं0 2,आडिट भवन टी०सी० 35, वी 1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई०टी०, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

5- जिलाधिकारी, लखनऊ ।

6- प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- अभिसूचना सेल, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।

संलग्नक:यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18/11/2016

संख्या पी-538 (III)/36-वी-8 (मूसाबाग)/2016-17, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्य जीव विभाग, लखनऊ को मय संलग्नक उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्रांक- 2260/चौदह-4-2016-160/2015, दिनांक 17-11-2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18/11/2016

संख्या- 2260 /चौदह-4-2016-160/2015

प्रेषक,

मो0 जुनैद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 17 नवम्बर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष-2016-17 में "मूसाबाग़ वन क्षेत्र लखनऊ का विकास एवं संरक्षण योजना" के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-363/36-बी-8 (मूसाबाग) दिनांक 26 सितम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-60- आयोजनागत मद के अन्तर्गत "मूसाबाग वन क्षेत्र लखनऊ का विकास एवं संरक्षण योजना" योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा प्रेषित डी0पी0आर0 के आधार पर मूल्यांकित धनराशि रू0 1353.71 लाख का वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- के सापेक्ष धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-	
01-वानिकी -	
800-अन्य व्यय-	
04-"मूसाबाग वन क्षेत्र लखनऊ का विकास एवं संरक्षण	
24-वृहत निर्माण कार्य	9000000
29-अनुरक्षण	1000000
योग:-	10000000

(रू0 एक करोड़ मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक/डाक घर खाता /डिपाजिट खाता अथवा पी.एल.ए. में आदि में जमा नहीं किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

6- स्वीकृत धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या-पी-363/36-बी-8(मूसाबाग)/2016-17 दिनांक 26 सितम्बर, 2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।

7- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

8- प्रायोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित कार्य यथा एल0आई0टी0 वन क्षेत्र के चारों तरफ 8789 र0मी0 बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, एल0आई0टी0 पार्क के फारेस्ट रेन्ज आफिस, मुख्य दवार, वन विश्राम गृह, आवासीय भवनों, वन चेतना पार्क एवं वाटर चैनल व लोटस पॉण्ड का सुदृढीकरण व उच्चीकरण कार्य के अतिरिक्त साइकिल स्टैंड कैन्टीन, झूले, लाइटिंग तथा साइनेज का कार्य ही कराये जाये।

9- प्रायोजना प्रस्ताव में पुराने आवासीय/अनावासीय भवनों को तोडकर नया भवन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है अतः ध्वस्तीकरण के पश्चात मलवे से प्राप्त धनराशि

को सुसंगत वित्तीय नियमोंके अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10-प्रायोजना में मानकीकरण के अनुरूप आवासीय/अनावासीय भवना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त पुराने भवन के रेनोवेशन का कार्य भी प्रस्तावित किया गया है यह सुनिश्चित किया जाय कि जब नया आवासीय/अनावासीय भवन बनाया जा रहा है तो पुराने भवन के रेनोवेशन की आवश्यकता एवं औचित्यका परीक्षण किये जाने के पश्चात ही रेनोवेशन हेतु धनराशि अनुमन्य की जाय।

11-प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृति/दिवरावृति न हो।

12-यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

13-स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 तथा समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त के अशासकीय पत्र सं0-980-ई-7 /दस-2016 दिनाँक 17.11.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

(मो0 जुनैद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2260 (1)/चौदह-4-2016-160/2015 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(मो0 जुनैद)
संयुक्त सचिव।